मीरजापुर पुलिस
—प्रेस नोट—

दिनांकः21.12.2024

थाना राजगढ़ पुलिस द्वारा पिकअप में क्रूरता पूर्वक बांधकर वध हेतु ले जाए जा रहे 03 राशि गोवंश बरामद, 02 शातिर गो-तस्कर गिरफ्तार —

पुलिस अधीक्षक मीरजापुर "अभिनन्दन" द्वारा अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की धरपकड़ व पशु तस्करों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षगण को प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए है।

उक्त निर्देश के जनपद में गो-तस्करी तथा इसमें संलिप्त अभियुक्तों के विरूद्ध अभियान चलाकर लगातार अलग-अलग थाना क्षेत्र में बड़ी कार्यवाही भी की जा रही है। इसी क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक आपरेशन व क्षेत्राधिकारी ऑपरेशन के नेतृत्व में दिनांकः20.12.2024 को थाना राजगढ़ पुलिस टीम द्वारा प्राप्त मुखबिरी सूचना के आधार पर थाना राजगढ़ क्षेत्रांतर्गत कुडी नहर पुलिया के पास से पिकअप सवार 02 शातिर गो-तस्करों 1.मनोज मौर्या पुत्र सभापति मौर्या, 2.विक्की पुत्र रामलखन निवासीगण धनुपुर थाना हण्डिया जनपद प्रयागराज को गिरफ्तार किया गया। जिनके द्वारा पिकअप में गोवंश लदा होना बताया गया , जिसे बेचने हेतु बिहार ले जा रहे थे। पिकअप से क्रूरता पूर्वक बांधकर लदे हुए कुल 03 राशि गोवंशो को बरामद किया गया । गो-तस्करी में प्रयुक्त पिकअप वाहन संख्याःUP70NT2871 को अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना राजगढ़ पर मु0अ0सं0-163/2024 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम पंजीकृत कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार अभियुक्तों को मा0न्यायालय/जेल भेजा गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण—

1.मनोज मौर्या पुत्र सभापति मौर्या निवासी धनुपुर थाना हण्डिया जनपद प्रयागराज, उम्र करीब-27 वर्ष।

2.विक्की पुत्र रामलखन निवासी धनुपुर थाना हण्डिया जनपद प्रयागराज, उम्र करीब-20 वर्ष।

विवरण बरामदगी—

पिकअप वाहन संख्याःUP70NT2871.

03 राशि गोवंश(गाय).

पंजीकृत अभियोग —

मु0अ0सं0-163/2024 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना राजगढ़ जनपद मीरजापुर।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय —

ग्राम कुडी नहर पुलिया के पास से, दिनांकः20.12.2024 को समय 15.55 बजे।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम —

उप-निरीक्षक रामकिशोर थाना राजगढ़ मय पुलिस टीम।

AUTO SALES PVT